न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 13/2025
दायर दिनांकः 12.06.2025
निर्णय दिनांक 12.12.2025

–: अनवान :–

1. सुन्दरबाई पत्नि स्वर्गीय प्यारेलाल जी भील आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद
2. भावेश भील पुत्र स्वर्गीय प्यारेलाल जी भील आयु 16 वर्ष निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद नाबालिग जरिये वली माता सुन्दरबाई पत्नि स्वर्गीय प्यारेलाल जी भील आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद अपीलार्थी संख्या एक

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
2. भभुतलाल पुत्र स्वर्गीय प्यारेलाल जी भील आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद
3. लेहरूलाल पुत्र स्वर्गीय प्यारेलाल जी भील आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद

– रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 5226 स्वीकृत दिनांक 25.11.2024 द्वारा पारित तहसीलदार [redacted] राजसमन्द
अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री अब्दुल हकीम चुडीगर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री ललित खटिक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 5226 फैसल दिनांक 25.11.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धोईन्दा के खाता संख्या 1332 खसरा संख्या 2702/2, 2702/4, 2702/8, 2709, 2711, 2719/2, 2721/2, 2724, 2725/2, 2743 कुल किता 10 कुल रकबा 1. 4244 हैक्टेयर भूमि पूर्व में प्यारेलाल पुत्र भँवरलाल जी भील के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जिसके फौत हो जाने पर विरासत से नामान्तरकरण उसके सभी वारीसान के नाम पर बराबर हक से दर्ज होना था लेकिन प्यारेलाल के तीन लडके व एक विधवा कमशः भभुतलाल, लेहरूलाल, भावेश व सुन्दरबाई के होते हुए माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या चार भावेश के नाम नामान्तरकरण नहीं खोलने में चुक करने से उसका नाम राजस्व अभिलेख में अपने भाई व माता के साथ नहीं आने से एवं उसका नाम दर्ज करवाने के लिए अपीलार्थी की ओर से उक्त अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करानें हेतु मृतक प्यारेलाल के सभी वारीसान के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं कर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है। अपीलांट संख्या एक अनुसूचित जनजाति की महिला होकर पढी लिखी नहीं हैं और अपीलांट संख्या चार नाबालिग होने से वह सही जानकारी नहीं दे पाई और प्यारेलाल के वारीसान की सूची में अपीलांट संख्या चार का नाम लिखने से रह गया और इसी वजह से अपीलांट संख्या चार का नाम उक्त स्वीकृत किये गये नामान्तकरण में अंकित होने से रह गया है। जिस कारण से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट संख्या चार भावेश अवयस्क है एवं वह अपनी माता के साथ उसी मकान में साथ रह रहा है। उसका अपनी दादी भुरीबाई के सम्पत्ति में अपीलार्थी संख्या एक दो तीन के समान ही हक अधिकार हैं। उसका नाम नहीं जुडने से उसे अपनी भुमि से मेहरूम होना पडेगा। न्यायहित में उसका नाम प्यारेलाल के वारीसान के साथ जोडा जाना आवश्यक है। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण दिनांक 25.11.2024 की अपीलार्थी को पूर्व में जानकारी नहीं रही है। अभी दिनांक 05.05.2025 को राजस्व रेकार्ड की नकल की आवश्यकता होने पर राजस्व रेकार्ड की नकल निकलवाई जिसमें अपीलार्थी संख्या चार का नाम अंकित नहीं होने की जानकारी हुई एवं तत्पश्चात् नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की व विधिक राय लेकर अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही है जो तारीख जानकारी से अंदर मयाद प्रस्तुत है अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5226 दिनांक 25.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिती दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित खटिक ने उपस्थिती दी।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धोईन्दा के खाता संख्या 1332 खसरा संख्या 2702/2, 2702/4, 2702/8, 2709, 2711, 2719/2, 2721/2, 2724, 2725/2, 2743 कुल किता 10 कुल रकबा 1.4244 हैक्टेयर भूमि पूर्व में प्यारेलाल पुत्र भँवरलाल जी भील के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जिसके फौत हो जाने पर विरासत से नामान्तरकरण उसके सभी वारीसान के नाम पर बराबर हक से दर्ज होना था लेकिन प्यारेलाल के तीन लडके व एक विधवा कमशः भभुतलाल, लेहरूलाल, भावेश व सुन्दरबाई के होते हुए माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या चार भावेश के नाम नामान्तरकरण नहीं खोलने में चुक करने से उसका नाम राजस्व अभिलेख में अपने भाई व माता के साथ नहीं आने से एवं उसका नाम दर्ज करवाने के लिए अपीलार्थी की ओर से उक्त अपील निम्न आधारा पर प्रस्तुत की जा रही है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करानें हेतु मृतक प्यारेलाल के सभी वारीसान के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं कर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है। अपीलांट संख्या एक अनुसूचित जनजाति की महिला होकर पढी लिखी नहीं हैं और अपीलांट संख्या चार नाबालिग होने से वह सही जानकारी नहीं दे पाई और प्यारेलाल के वारीसान की सूची में अपीलांट संख्या चार का नाम लिखने से रह गया और इसी वजह से अपीलांट संख्या चार का नाम उक्त स्वीकृत किये गये नामान्तकरण में अंकित होने से रह गया है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5226 दिनांक 25.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का के द्वारा जो नामान्तरण खोला गया वह सहीं व उचित रूप से जाँच कर के खोला गया है। फिर भी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5226 दिनांक 25.11.2024 को अपास्त किया जाता है तो कोई आपत्ती नही होकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह प्रकरण बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें एक वारिस जो कि अवयस्क पुत्र था उसका नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण फैसल करते समय छोड दिया गया। जिसको लेकर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध प्रकट नही किया हैं तथा इस तथ्य को सही माना हैं। अतः विवादित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 5226 दिनांक 25.11.2024 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजसमन्द को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं। कि मृतक के समस्त विधिक वारिसानो की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद